न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 21-1-25 को पेश हो।	
21.1.25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रार्थना पत्र T-I. सुनी गई। वकील प्रार्थी ने फर्द की सूची के साथ दस्तावेज पेश किये। वकील अप्रार्थी ने सूची के साथ दस्तावेज पेश किये। वकील प्रार्थी ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि को प्रार्थीगण के पिता मोरपाल ने अपने जीवनकाल मे दो बीघा भूमि को जर्ये बैंचाननामा स्टाम्प लिखवाकर गवाहों की उपस्थिति मे प्रत्यार्थी सं. 1 को बैंचान कर कब्जा सम्भला दिया था। बैंचान दिनांक 6.9.2007 से ही प्रत्यार्थीगण निर्बाध रूप से खेती काश्त करते चले आ रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। हमने प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया। बहस में दिये गए तर्को पर मनन किया। रिकार्डेड खातेदारान के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायालय	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (रा

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	उचित नही समझता है। प्रथम दृष्ट्या केस सुविधा सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु अभार्थीगण के पक्ष मे होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 Rt Act खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।